<u>सलाहकार की भर्ती के लिए विज्ञापन (सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधक)</u>

भारतीय नागरिकों के पात्र उम्मीदवारों से अनुबंध के आधार पर उड़ान निरीक्षण इकाई, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) में सलाहकार सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधक (सीएएम) की भर्ती के लिए कार्यकारी निदेशक, उड़ान निरीक्षण इकाई द्वारा आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

I. सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन के लिए सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधक (सीएएम) पद धारक के रूप में सलाहकार के उत्तरदायित्व/कर्तव्य:

पद धारक यानी सीएएम पद धारक के समूह के साथ सीएआर एम उप खंड जी का अनुपालन सुनिश्चित करेगा कि सभी अनुरक्षण उपयुक्त रूप से अनुमोदित अनुरक्षण संगठन (संगठनों) द्वारा सम्बंधित अनुमोदित अनुरक्षण कार्यक्रम के अनुसार, समय पर और अनुमोदित मानक के अनुसार हैं । वह यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य करेगा कि निम्नलिखित क्षेत्रों में संगठन की जिम्मेदारियों को पूरा किया जा सकता है (यदि मालिक/संचालक द्वारा ऐसा करने के लिए अनुबंधित किया जाता है):

(ए) विमान के लिए रखरखाव कार्यक्रमों के प्रबंधन स्थापन और विकास संगठन के भाग एम.ए. 302 द्वारा के अनुसार किया जाएगा |

(बी) अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी को अनुरक्षण कार्यक्रमों की प्रस्तुति और मालिक संचालक को एक प्रति सुलभ कराने का प्रावधान करना |

(सी) संशोधनों और मरम्मत की स्वीकृति सुनिश्चित करना |

(डी) संशोधन और मरम्मत को सुनिश्चित करना (परिवर्तन) कि यह अनुमोदित मानक के अनुसार किया जाए |

(ई) सुनिश्चित करना कि सभी रखरखाव अनुमोदित रखरखाव कार्यक्रम के अनुसार किया जाता है और एमए सन भाग - एच के अनुसार जारी किया जाता है।

(एफ) यह सुनिश्चित करना कि सभी लागू उड़ानयोग्यता निर्देश और परिचालन निर्देश निरंतर उड़ान योग्यता प्रभाव के साथ लागू होते हैं |

(जी) यह सुनिश्चित करना कि, जब भी आवश्यक हो, विमान को उचित रूप से अनुमोदित रखरखाव संगठन में ले जाया जाता है |

(एच) सभी ज्ञात कमियों की मरम्मत को सुनिश्चित करना |

(आई) अनुसूचित रखरखाव का समन्वय, उड़ान योग्यता निर्देशों का आवेदन, सेवा जीवन सीमित भागों के प्रतिस्थापन और काम को ठीक से सुनिश्चित करने के लिए घटक निरीक्षण करना।

(जे) सभी सतत उड़ान योग्यता रिकॉर्ड का प्रबंधन और रिकार्ड तैयार करना |

(के) विमान की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हुए वजन और संतुलन विवरण सुनिश्चित करना |

(एल) भाग 145/उप भाग एफ रखरखाव ठेकेदार (ठेकेदारों) और भाग एमए 201 (एच) 2 द्वारा आवश्यक रखरखाव अनुबंध की स्थापना के साथ संबंध।

(एम) गैर अनिवार्य संशोधन मूर्त नीति, जहां उपयुक्त हो |

(एन) डीजीसीए लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर एमए 801 के अनुसार सेवा के लिए रिलीज प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम हैं।

(ओ) यह कि भा.वि.प्रा. के प्रत्येक विमान के लिए उड़ानयोग्यता का प्रमाण पत्र निम्नलिखित के संबंध में मान्य है :

(ए) विमान की उड़ान योग्यता

(बी) उड़ान योग्यता समीक्षा प्रमाणपत्र पर निर्दिष्ट समाप्ति तिथि और

(सी) प्रमाण पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त

(पी) डीजीसीए और विमान निर्माताओं को रखरखाव प्रकृति की किसी भी घटना की रिपोर्ट करना। इसमें अनिवार्य घटनाएँ और रखरखाव निष्कर्षों से संबंधित घटनाएँ दोनों शामिल हैं, जो अनिवार्य योजना से बाहर हैं |

(क्यू) इस सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन प्रदर्शनी का संशोधन और नियंत्रण |

(आर) किसी भी अतिरिक्त राष्ट्रीय आवश्यकताओं की समीक्षा और कार्यान्वयन, जैसा उपयुक्त हो।

(एस) भा.वि.प्रा. के साथ सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधन व्यवस्था (व्यवस्थाओं) का आवेदन और समीक्षा।

II. नियम और शर्तें :

1. **अनुबंध की अवधि:** अनुबंध की अवधि 3 (तीन) वर्ष की होगी, संतोषजनक प्रदर्शन और आपसी सहमति पर अवधि को और 1 (एक) वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है।

2. **आवेदन करने की तिथि पर पात्रता मानदंड:**

   (ए) आवेदक के पास वैध डीजीसीए इंडिया लाइसेंस बीएएमईएल/बीएएम ईसी होना चाहिए।

   (बी) उड्डयन में न्यूनतम 05 वर्ष का अनुभव जिसमें से सीएएमओ में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव हो और वह सभी आवश्यक प्रशिक्षणों पर चालू होना चाहिए।

   (सी) सीएआर एम की आवश्यकता को पूरा करना चाहिए और एक पद धारक के रूप में डीजीसीए को स्वीकार्य होना चाहिए

   (डी) एफआईयू, भा.वि.प्रा. के स्वामित्व वाले विमानों के रखरखाव प्रबंधन की देखरेख के लिए परिचित होना चाहिए |

   (ई) लेखन और मौखिक संचार कौशल में धाराप्रवाह होना चाहिए ।

   (एफ) कंप्यूटर संचालन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए (एमएस ऑफिस एप्लीकेशन) |

3. **पद की संख्या:** एक (01)
4. **आयु सीमा:** अधिकतम आयु सीमा 56 वर्ष है ।
5. **मानदेय**: अनुबंध पर चयनित उम्मीदवार को प्रतिमाह 65,000/- रुपये का भुगतान किया जाएगा, जिसमें 5% की वार्षिक वृद्धि होगी, जो नियमों के अनुसार कर/टीडीएस की कटौती के अधीन होगा। प्रति माह 1500/- रुपये की अतिरिक्त राशि वाहन और टेलीफोन के लिए देय है।
6. कोई सीपीएफ, ग्रेच्युटी आदि सलाहकार (सीएएम) को स्वीकार्य नहीं होगा।
7. **चिकित्सा और अन्य लाभ:** भा.वि.प्रा. का सलाहकार (सीएएम) और उसके आश्रितों को कोई चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए कोई दायित्व नहीं है, जो एएआई में मौजूद है और एएआई की ओर से कोई अन्य वित्तीय दायित्व नहीं होगा, क्योकि पारिश्रमिक में सब कुछ समाहित है।
8. **अवकाश :** सलाहकार (सीएएम) एक कैलेंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 12 दिनों के आकस्मिक अवकाश और 15 दिनों के चिकित्सा अवकाश के लिए पात्र होंगे। एक कैलेंडर वर्ष में अप्रयुक्त छुट्टी को अगले कैलेंडर वर्ष में आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है या कार्यकाल के अंत में भुनाया नहीं जा सकता है।

9. **अनुबंध की समाप्ति:** किसी भी पक्ष द्वारा दो महीने का नोटिस देकर अनुबंध समाप्त किया जा सकता है। भा.वि.प्रा. एक कैलेंडर वर्ष में हकदार छुट्टियों के बाद 15 दिनों से अधिक समय तक अनुपस्थित रहने की स्थिति में सलाहकार (सीएएम) की सेवा समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगा।

III. **आवेदन कैसे करें :**

जो उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र डाउनलोड करें और दिए गए प्रारूप में आवश्यक विवरण भरें, निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करें और नीचे दिए गए पते पर 25 जून, 2022 तक या उससे पहले भेजें दें।

सेवा में,
कार्यपालक निदेशक (एफआईयू)
उड़ान निरीक्षण इकाई
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली-110003

(i) आवेदन प्रारूप में दिए गए स्थान में हाल ही में खिचवाया गया एक पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाएँ |

(ii) जन्म तिथि, योग्यता, अनुभव आदि के लिए सहायक साक्ष्य की फोटोकॉपी का एक सेट।

(iii) लाइसेंस/अनुमोदन की फोटोकॉपी का एक सेट |

संवीक्षा (स्क्रूटनी) के बाद, उम्मीदवारों को व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उन्हें उम्मीदवारों द्वारा प्रदान किए गए ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

उम्मीदवार नई दिल्ली में अपने स्वयं के खर्च पर निर्धारित तिथि और समय पर व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए उपस्थित होंगे और सत्यापन के लिए अपने मूल दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।

सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत उम्मीदवारों को साक्षात्कार के समय अपने वर्तमान नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" लाना आवश्यक है।

चयनित उम्मीदवारों को 100/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ एक समझौता करना होगा।

IV. सामान्य :

भा.वि.प्रा. प्रबंधन भविष्य के समय में वास्तविक आवश्यकता के आधार पर उपरोक्त अनुसूची/शर्तों/आवश्यकता/पदों की संख्या को संशोधित/बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है। शॉर्ट लिस्टेड उम्मीदवारों को अनुबंध पर वचनबन्ध माना जाएगा।
कृपया यह भी नोट करें कि आपकी उम्मीदवारी विशुद्ध रूप से अनंतिम है। यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि आपके पास निर्धारित योग्यता / निर्धारित पात्रता मानदंड नहीं है, तो उस मामले में आपके साथ कोई और पत्राचार किए बिना, आपकी उम्मीदवारी को अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी भी रूप में प्रचार करने से उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

कार्यपालक निदेशक
उड़ान निरीक्षण इकाई

<u>भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण</u>

हाल ही का पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ चिपकाएं

आवेदन पत्र:

पद के लिए आवेदन : सलाहकार (सतत उड़ानयोग्यता प्रबंधक)

I. ए) नाम: ____

बी) पिता का नाम: ______________________________________

सी) पता:____

____

पिन कोड____

डी) संपर्क विवरण:

i) टेलीफोन नंबर: ____

ii) मोबाइल नंबर: ____

iii) ई-मेल आईडी: _______________________________________

ई) जन्म तिथि: ____

एफ) आयु (आवेदन करने की तिथि पर)

____________ **(वर्ष)** ____________ **(महीने)** _________ **(दिन)**

जी) राष्ट्रीयता: ____

II. शैक्षणिक योग्यता: (10+2 से आगे)

परीक्षा उत्तीर्ण	**विश्वविद्यालय/बोर्ड**	**उत्तीर्ण करने का वर्ष**	**विषय**	**अंकों का%**

III. तकनीकी योग्यता:

लाइसेंस का विवरण:

लाइसेंस श्रेणी	**संख्या**	**जारी करने की तिथि**	**वैधता**		**टिप्पणियां**
			से	**तक**	
डीजीसीए **इंडिया द्वारा जारी** बीएएमईएल/बीएएम					
कोई अन्य अनुज्ञापत्र/पृष्ठांकन					

VI. अनुभव:

V. कोई अन्य जानकारी:

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझता हूं कि यदि मैंने कोई तथ्यात्मक जानकारी छिपाई है तो मेरी उम्मीदवारी खारिज कर दी जाएगी।

दिनांक: उम्मीदवार के हस्ताक्षर